



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307 ]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2021—श्रावण 7, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2021

क्र. एफ-2-16-2021-लोसेप्र-पी.एस.जी.-34.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत नापतौल की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इकसठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-34, दिनांक 05 सितम्बर 2017 के क्रमांक (4) सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा में संशोधन करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थात:-

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत  
खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग अन्तर्गत नापतौल की सेवाएं.

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.13	नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.14	निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34.15	नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.16	विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.17	नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.18	सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य
34.19	पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन.	नियंत्रक नाप-तौल द्वारा अधिकृत अधिकारी (संयुक्त नियंत्रक/दाशमिक अधिकारी).	07 कार्य दिवस	नियंत्रक नाप-तौल	30 कार्य दिवस	प्रमुख सचिव, खाद्य

2. राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न सेवाएं.—

- सेवा क्रमांक 34.13 - नवीन निर्माता अनुज्ञप्ति प्रदायगी  
 सेवा क्रमांक 34.14 - निर्माता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण  
 सेवा क्रमांक 34.15 - नवीन विक्रेता अनुज्ञप्ति प्रदायगी  
 सेवा क्रमांक 34.16 - विक्रेता अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण  
 सेवा क्रमांक 34.17 - नवीन सुधारक अनुज्ञप्ति प्रदायगी  
 सेवा क्रमांक 34.18 - सुधारक अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण  
 सेवा क्रमांक 34.19 - पैकबंद वस्तुओं के निर्माता/पैककर्ता/आयातकर्ता का पंजीयन

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 रिपुदमन सिंह भदोरिया, उपसचिव.